


सजा से दण्डित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट ने पचाशतवर्ती अतिक्रमण नहीं किया गया ना ही पूर्व में उसे बेदखल किया गया है। अपीलान्ट शांतप्रिय व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। विवादित आराजीयात् पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

4-- रेस्पोजेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलान्ट द्वारा चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे बेदखल किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

5-- विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.10.2025 में अपीलान्ट को समुचित सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही काठोन तहसील कनवास में स्थित आराजी ख0न0 87 रकबा 0.32 हैक्टर चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर वार्षिक लगान 3.20 का 50 गुना जुर्माना एवं 30 दिवस का सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट ने पचाशतवर्ती अतिक्रमण नहीं किया गया ना ही पूर्व में उसे बेदखल किया गया है। अपीलान्ट शांतप्रिय व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। विवादित आराजीयात् पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है।



रेस्पोजेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

6-- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काठोन तहसील कनवास में स्थित आराजी ख0न0 87 रकबा 0.32 हैक्टर चारागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिए इस शर्त के साथ स्थगित कि जाती है कि तहसीलदार कनवास स्वयं मौके जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम काठोन तहसील कनवास में स्थित आराजी ख0न0 87 रकबा 0.32 हैक्टर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं। उपरोक्त अतिक्रमण आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया गया है, एवं भविष्य में पुनः

—
अति. जिला कलक्टर
कोटा

गया है, एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। तहसीलदार कनवास द्वारा मौका पर जाकर पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर ही निर्णय जैर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

- 8- निर्णय आज दिनांक 24/4/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटली जिला कोटली